न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचोर जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव आर.ए.एस.

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना– पत्र धारा अन्तर्गत 212 राज. काश्तकारी अधि.1955

मुकदमा नम्बर 235/2014

अनवान

प्रार्थी :–

1. केहरा पुत्र देवा कौम– कलबी साकिन बिछावाडी तहसील–सांचौर

अप्रार्थीगण :–

1. देवा पुत्र वेना कौम कलबी साकिन राजेश्वरपुरा तहसील सांचौर
2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर
3. उपपंजीयक सांचौर
4. पटवारी पटवार हल्का बिछावाडी
5. शाखा प्रबंधक SBBJ शाखा बिछावाडी तहसील सांचौर
6. शाखा प्रबंधक कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शाखा सांचौर जिला जालोर
7. मवाराम पुत्र पदमाराम कौम कलबी निवासी राजेश्वरपुरा

निर्णय

दिनांकः– 09.03.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार पेश किया कि वाके मौजा सरहद गांव बिछावाडी में मेरी एवं अप्रार्थी संख्या 1 देवा की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नंबर 624 रकबा 3.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 625 रकबा 1.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 626 रकबा 4.57 हैक्टर जुमले रकबा 9.45 हैक्टर की आयी हुई है। तथा इसी प्रकार ग्राम राजेश्वरपुरा में हमारी संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 548 रकबा 1.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 1041 रकबा 1.72 हैक्टर , खसरा नम्बर 1042 रकबा 1.79 हैक्टर जुमले रकबा 5.49 हैक्टर की आयी हुई है।

उक्त खातेदारी पूर्व में हमारे पिता श्री वेना के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उनके फौत होने के पश्चात उक्त खातेदारी हम दोनो भाईयों केहरा, देवा एवं हमारी माता गीगीदेवी के नाम दर्ज हुई। तथा हमारी माता गीगीदेवी के फौत होने के पश्चात उक्त खातेदारी भूमि में मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी देवा दोनों का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। इस प्रकार वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजी में हम दोंनो भाईयों का बराबर–बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अंकित है। तथा इसी अनुसार हम मौके पर काबिज है। मेरे बन्ट की भूमि में मेरा पक्का मकान बना हुआ है जिसमें मैं सहपरिवार निवास करता हूं।

हम पक्षकारांन के मध्य आज से 15 वर्ष पूर्व गांव के बडे– बुजुर्गो व समाज के मुखियान के रूबरू मौके पर भौतिक रू॰ से बंटवाडा हो गया है तथा उसी माफिक हम मौके पर आज दिन तक काबिज काश्त है। मेरे बन्ट में ग्राम राजेश्वरपुरा के खेत खसरा नंबर 548 रकबा 1.98 हैक्टर एवं ग्राम बिछावाडी के खेत खसरा नम्बर 624 रकबा 3.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 625 रकबा 1.78 हैक्टर, खसरा नंबर 626 में से 0.61 हैक्टर भूमि जुमले रकबा 7.47 हैक्टर भूमि आती है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल रंग से दर्शाया गया है। तथा इसी माफिक मैं प्रार्थी मौके पर काबिज हूं। उक्त वादग्रस्त भूमि में से नर्मदा नहर परियोजना के तहत भी भूमि अवाप्त हुई है। उक्त भूमि देवा के बन्ट की भूमि में से अवाप्त हुई थी इसलिए उसका समस्त मुआवजा भी देवा अकेले को मेरे द्वारा गांव के मौजिज लोगो के रूबरू दे दिया गया था। इस प्रकार मेरे बन्ट एवं कब्जा काश्त की भूमि को छोडकर शेष भूमि अप्रार्थी देवा के बन्ट की है जिसमें अवाप्त हुई भूमि को छोडकर [illegible] अप्रार्थी देवा के बन्ट की है जिसमें अवाप्त की हुई भूमि देवा के हिस्से में से कम हुई है।

उक्त वादग्रस्त आराजी हमारे नाम संयुक्त रूप से दर्ज है [illegible] अक्सर माठ बाबत् विवाद होते रहते है। तथा अप्रार्थी देवा अक्सर मेरे बन्ट की भूमि पर खडे वृक्षों को अवैधानिक रूप से कटा[illegible] जाता है जिसमें अक्सर विवाद होता रहता है तथा संयुक्त खा[illegible] होने की वजह से हमें [illegible] सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी सुरत में दावा बाबत बंटवाडा का श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.03.23 15:50:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आज से दस रोज पूर्व मैने अप्रार्थी देवा को तहसील कार्यालय चलकर सहमति पूर्वक बंटवाडा का निवेदन किया परन्तु उसने सहमति पूर्वक बंटवाडा करने से इन्कार कर दिया तथा मुझे इस अमर की ऐलानियां धमकिया दी कि मैं तुम्हें वादग्रस्त आराजी के कब्जे से बेदखल कर दूंगा। तथा तुम्हारे मकान को डण्डे के बल पर हडप कर लूंगा तथा वादग्रस्त आराजी बिना विधिवत बंटवाडा किये किसी बदमाश प्रवृति के व्यक्ति को बेचान कर दूंगा। ऐसी सूरत में दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया है। मै उक्त वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त खातेदार हुं , तथा वादग्रस्त आराजी का बंटवाडे का दावा भी श्रीमानजी की सेवा में पेश किया गया है।

मुझ प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में वाद बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का मजूबत आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफल होने की प्रार्थी को पूर्णरूप से संभावना है मगर मूल वाद के निर्णय में लम्बा समय लगने की संभावना है ऐसी सूरत में यदि अविलम्ब अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के नही रोका गया तो अप्रार्थी सं.1 मुझ प्रार्थी के बंट व कब्जे काश्त की भूमि में जबरन डण्डे के बल पर कब्जा कर मुझे मेरे बन्ट व हिस्से कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर भूमि बिना भू.विभाजन के ही किसी स्ट्रेन्जर प्रसंस को बेचान कर मुझे मेरे बन्ट की भूमि से बाहर खदेड देगें जिससे मुझ प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों–पैसों में किया जाना कतई मुमकीन नही होगा। जबकि वादग्रस्त आराजी का मैं रेकोर्डेड खातेदार हूं तथा 1/2 हिस्से पर मुझ प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त व रहवास है। इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत स्तंभ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के मुझ प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी सूरत में मैं प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का विधिसम्मत अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी की सेवा में पेश है।

अतः माननीय न्यायालय से यह सशपथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा सादीर फरनाई जावे कि वाके सरहद मौजा बिछावाडी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 624, 625, 626 जुनले रकबा 9.45 हैक्टर व ग्राम राजेश्वरपुरा के खेत खसरा नम्बर 548, 1041, 1042 जुनले रकबा 5.49 हैक्टर कुल दोनों ग्रामों की कुल रकबा 14.94 हैक्टर में स्थित प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वंय किसी प्रकार की कोई दखलंनदाजी ही करें , तथा न ही किसी अन्य से करावें , तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे बेचान, रहन भोगलावा, गिरवी, तर्क, बख्शीश, दान वगैरा ही करें , तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाई रखावें।

जवाब अप्रार्थी संख्या 1 देवा वल्द वेना ने इस प्रकार पेश किया कि वादग्रस्त आराजी में मुझ अप्रार्थी देवा का 1/2 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा प्रार्थी का सभी खसरान में आया हुआ है। प्रार्थी ने जो नक्शा प्रदर्श अ पेश किया है वह गलत है। चूंकि प्रार्थी द्वारा पेश नक्शा प्रदर्श अ में बताए अनुसार प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का कण–कण भमि पर हक, हकूक, कब्जा व हिस्सा माना जाता है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी हमारी संयुक्त कब्जा काश्त की है जिसका पूर्व में प्रार्थी द्वारा 15 वर्ष पूर्व बंटवारा बड़े बुजुर्गों व समाज के मुख्यिांन के रूबरू होने की बात गलत, मनगडन्त व बेबुनियाद है। मौके पर शामलाती रूप से वादग्रस्त आराजी में मुझ अप्रार्थी व प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा अ गलत पेश किया है। नक्शे में प्रार्थी ने जो लाल रंग की भूमि उसकी होना बताया है, वह गलत है। नर्मदा नहर में भूमि अवाप्त की थी। वह हमारे शामलाती रूप से अवाप्त की गई थी। जिसका मुआवजा भी मुझ अप्रार्थी एवं प्रार्थी द्वारा शामलाती रूप से प्राप्त किया गा था। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का नर्मदा नहर में अवाप्त हुई भूमि का मुआवजा मैंने व अकेले ने प्राप्त नहीं किया था। प्रार्थी द्वारा अकेले मुझ अप्रार्थी द्वारा लोगों की मौजूदगी में मुआवजा प्राप्त करने की बात सरासर गलत है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश नक्शा प्रदर्श अ के अनुसार बंटवाड़ा होकर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने की बात गलत है। अवाप्तसुदा भूमि हम दोनों भाईयों के हिस्से में से व कब्जे में से अवाप्त की [illegible] प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 4 मिथ्या होने से अस्वीकार है जवाब इस कदर है कि वादग्रस्त [illegible] जी [illegible] प्रार्थी संयुक्त रूप से दर्ज होने की बात स्वीकार करता है।ऐसी सूरत में अभी तक वादग्रस्त भूमि का [illegible] नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा प्रार्थी द्वारा पेश नक्शा अ [illegible] किया जाकर मौके पर कब्जे काश्त व हिस्से को मध्यनजर रखाते हुए बॉय [illegible] के यदि बंटवाड़ा किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति या एतराज नहीं है। तथा माठ आदि तोडने [illegible] विवाद उत्पन्न करने व वृक्षा आदि तोड़ने की बात गलत प्रार्थी द्वारा लिखी है अन्य इवारत प्रार्थी गलत, मनघडन्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.03.23 16:50:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 5 मिथ्या होने से अस्वीकार है। जवाब इस कद है कि मुझ अप्रार्थी को न तो प्रार्थी द्वारा बंटवाड़ा करने की कोई बात ही की गई है। न ही मैंने प्रार्थी को बेदखल करने व भूमि बेचान करने की की कभी धमकी ही दी है। प्रार्थी ने सारी बात मनघडन्त व गलत लिखी है। प्रार्थी प्रस्तुत नक्शा अ अनुसार बंटवाड़ा चाहता है, जिसे मैं अप्रार्थी अस्वीकार करता हूं। इस प्रकार संयुक्त खातेदारी की भूमि में कानूनिया स्थायी निषेधाज्ञा व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। चूंकि कण–कण भूमि पर सहखातेदार का कब्जा एवं हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्तणीय है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 6 प्रार्थी मिथ्या होने से अस्वीकार है। जवाब इस कदर है कि वादग्रस्त आराजी मुझ अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर सहखातेदारान का कण–कण भूमि पर कब्जा काश्त है। भूमि का अभी तक प्रार्थी द्वारा पेश नक्शा अ अनुसार कोई बंटवाड़ा नहीं किया गया है। मैं अप्रार्थी रेकॉर्डेड सहखातेदार हूं। तथा वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि में मुझ अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा मुझ अप्रार्थी के विरुद्ध जारी की गई तो मुझ अप्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रूपयों पैसों में किया जाना कतई मुमकीन नहीं होगा। जबकि इसके विपरीत प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा पेश वाद गलत, निराधार व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से उसमें सफल होने की प्रार्थी को कतई संभावना नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सारहीन बलहीन व मनघडन्त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें , तथा उक्त प्रकरण में जारी एकतरफा अंतरिम स्थगन आदेश भी खारिज किया जावें।

जवाब अप्रार्थी संख्या 7 मावाराम द्वारा इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र के अवतरण संख्या 1 में वर्णित आराजी बिछावाड़ी व राजेश्वरपुरा में स्थित है जिस में से ग्राम राजेश्वरपुरा के खसरा नंबर 1041 में से अप्रार्थी देवाराम से मुझ अप्रार्थी मावाराम ने जरिये बैचान दस्तावेज क्रमांक 4606/2013 दिनांक 19.09.2013 को 0.64 हेक्टेयर भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तब से उक्त आराजी पर कब्जा काश्त मेरा है।

प्रार्थना पत्र के अवतरण संख्या 2 का जवाब इस कदर है कि आदग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा प्रार्थी का एवं 1/2 हिस्से में से 0.64 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी देवाराम ने पूर्ण प्रतिफल लेकर मुझ अप्रार्थी मावाराम को 0.64 हैक्टेयर भूमि बैचान कर कब्जा सुपुर्द किया या वैसे भी प्रार्थी स्वयं खसरा नंबर 1041 अप्रार्थी देवाराम के बंट का होना स्वीकार करता है तथा देवाराम ने मुझ अप्रार्थी को खसरा नंबर 1041 में से 0.64 हैक्टेयर भूमि नक्शा नजरी ए में वर्णित पीला रंग की भूमि का कब्जा सुपुर्द किया है जिस पर मेरा कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र के अवतरण संख्या 3 में वर्णित बंटवाड़ा माफिक खसरा नंबर 1041 अप्रार्थी देवा के बंट का प्रार्थी स्वयं स्वीकारता है लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के आपस में नहर में भूमि अवाप्ति नहीं हुई है अतः खसरा नंबर 1041 में से 0.64 हैक्टयर भूमि मैं अप्रार्थी मावाराम अलग अमल दरामद कररवाना चाहता हूं शेष तथ्यों का संबंध अप्रार्थी मावाराम से नहीं है।

प्रार्थना का जवाब इस कदर है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है लेकिन मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है बंटवाड़ा माफिक खसरा नंबर 1041 अप्रार्थी देवाराम के बंट का था उस में से 0.64 हैक्टेयर भूमि नक्शा नजरी ए में वर्णित पीले रंग की भूमि मैं अप्रार्थी अलग बंटवाड़ा करवाना चाहता हूं इसी माफिक मौके पर भी कब्जा काश्त है एवं बेचान दस्तावेज व प्रार्थी के कथनों से भी मेरा बंट व कब्जा काश्त के तथ्य एडमिट (स्वीकार्य)है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि मुझ अप्रार्थी मावाराम का खरीदसुदा खेत खसरा नंबर 1041 रकबा 1.72 हैक्टेयर नें से 0.64 हैक्टेयर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त कर मेरे नाम नामान्तरण भरे जाने का आदेश दिलावें। शेष पक्षकारों के विरुद्ध बावजूद सूचना ... रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं जवाब अवसर बंद किये गये।

प्रकरण नें बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण– विचाराधीन प्रार्थना पत्र में आराजी मौजा खसरा संख्या 624 रकबा 3.10 हैक्टेयर खसरा संख्या 625 रकबा 1.78 हैक्टेयर है। खसरा संख्या 626 रकबा 4.57 हैक्टेयर है जुमले रकबा 9.45 हैक्टेयर है मौजा बिछावाड़ी एवं खसरा संख्या ...3 रकबा 1.98 हैक्टेयर है। खसरा संख्या 1041 रकबा 1.72 हैक्टेयर खसरा संख्या 1042 रकबा 1.79 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.49 हैक्टेयर है। मौजा राजेश्वरपुरा में संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.03.23 15:50:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के अनुसार अप्रार्थी देवा प्रार्थी के बंट व कब्जे काश्त की भूमि में जबरन डण्डे के बल पर कब्जा कर बंट व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर भूमि बिना विभाजन कराये अजनबी क्रेता को बेचान कर देगा। अतः वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित करने के अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी संख्या 1 देवा द्वारा खसरा संख्या 1041 रकबा 1.72 हैक्टेयर में से 0.64 हैक्टेयर है। भूमि दिनांक 19/9/2013 को मावाराम पुत्र पदमाराम अप्रार्थी संख्या 7 को बेचान की गई है। बेचान दस्तावेज के अनुसार खसरा नंबर 1041 के दक्षिणी भाग की भूमि को बेचान किया गया है। संयुक्त खातेदारी भूमि में चूंकि प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच में हिस्सा होता है इसलिए अप्रार्थी इस प्रकार के बेचान करने के लिए समर्थ नहीं है। प्रार्थी के संयुक्त खातेदार होने एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि में से एक विशेष भू–भाग को बेचने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति– संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी अलग अलग जगह काबिज है परन्तु प्रत्येक सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर हिस्सा निहित है। भूमि के बंटवारे तक विवादग्रस्त वस्तु को सुरक्षित रखने एवं बेचान आदि को रोकने के लिए यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। प्रार्थी चूंकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में सहखातेदार है एवं अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.09.2013 को खसरे संख्या 1041 के एक हिस्से विशेष का बेचान किया है उससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है। और यदि भूमि का निरन्तर बेचान किसी भी पक्ष द्वारा किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी पक्षकारों को होना तय है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है।

प्रार्थी द्वारा 24.09.2013 को संयुक्त खातेदारी की भूमि पर बंटवारे के दावा संस्थित किया गया है जबकि अप्रार्थी द्वारा 19.09.2013 को खसरा संख्या 1041 में से 0.64 हैक्टेयर भूमि का बेचान मावाराम पुत्र श्री पदमाराम अप्रार्थी संख्या 7 को किया जा चुका है। परन्तु किया गया बेचान खसरा विशेष जो संयुक्त खातेदारी का है। जिसमें अभी प्रार्थी एवं अप्रार्थी का विशेष भू–भाग पर अधिकार तय नहीं है के दक्षिणी भू–भाग जो अप्रार्थी 7 या क्रेता के सेढे से लगता हुआ है का ही बेचान किया गया है। जबकि अप्रार्थी संयुक्त खातेदारी के भू–भाग विशेष पर बेचान का अधिकारी नहीं है।

अतः आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 624, 625, 626 जुमले रकबा 9.45 हैक्टर व ग्राम राजेश्वरपुरा के खेत खसरा नम्बर 548, 1041, 1042 जुमले रकबा 5.49 हैक्टर कुल दोनों ग्रामों की कुल रकबा 14.94 हैक्टर पर उभयपक्षकारों को मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 7 के हक में नामान्तरण बेचान दस्तावेज 8991 दिनांक 19.09.2013 के अनुसार भू–भाग विशेष को शून्य मानते हुये खोला जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.03.23 15:50:36 IST
Reason: SelfAttested

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
सांचौर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक) सांचौर
जिला जालोर (राज0)

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner